संख्या-118/2025/32 पी /25-27-सिं0-4/001-65(डब्ल्यू)परि0/2022

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2025**

विषय: जनपद महराजगंज में अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन के माध्यम से मैनहवां प्रेशर सिंचाई प्रणाली के निर्माण की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-1734/758/परियोजना/कैम्प/बजट दिनांक 28 जनवरी, **2025** तथा शासनादेश संख्या- **50/2023/2394/24-27**सिं**0-4/001-65(**डब्ल्यू)परि**0/2022,** दिनांक 31.01.2023 द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 लेखाशीर्षक 4700-17-051-10-14-24 के अन्तर्गत **जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती मुख्य नहर के कि0मी0 116.200 से 116.700, कि0मी0 117.700 से 118.100, 119.000 से 119.400 एवं 122.800 से 123.200 तक लाइनिंग कार्य की परियोजना** हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 135.00 लाख (एक करोड पैंतीस लाख मात्र) का अन्तरण कर समान लेखाशीर्षक 4700-17-051-10-14-24 के अन्तर्गत **जनपद महराजगंज में अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन के माध्यम से मैनहवां प्रेशर सिंचाई प्रणाली के निर्माण की परियोजना** हेतु धनराशि रू0 135.00 लाख (एक करोड पैंतीस लाख मात्र) परियोजना के कार्यो हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्ते यथावत रहेंगे।
2. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं ससमय पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,35,00,000 (** रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4700170511014** सम्बत्द्ध कार्य मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव,

संख्या-118/2025/ 32पी /25-27-सिं0-4, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1(पूर्व) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।
7- मुख्य अभियन्ता (सरयू0 परि0-2) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोण्डा ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर, उ0प्र0 ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- नोडल अधिकारी (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव,